

आदेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5424अ).—डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियां जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश क्रमांक जेड-33014/45/2020-आरसीएच/भाग.फाइल-3 दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्रदान की गयी थी, के तहत लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) और सिलेंडर में ऑक्सीजन इनहेलेशन (औषधीय गैस) की कीमतें का. आ 3322 (अ) दिनांक 25.09.2020, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण औषध विभाग; रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी जो कि दिनांक 31.03.2021 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो" लागू था जिसे का. आ 1335 (अ) दिनांक 25.03.2021 के माध्यम से दिनांक 30.09.2021 ओर इसके बाद का. आ 3936 (अ) दिनांक 23.09.2021 के माध्यम से दिनांक 31.12.2021 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो लागू है, उसे दिनांक 31.03.2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है।

2. दिनांक 25.03.2021 के विस्तार के आदेश का. आ 1335 (अ) ओर दिनांक 23.09.2021 के विस्तार के आदेश का. आ 3936 (अ) के साथ पढ़े गये दिनांक 25 सितंबर, 2020 के मूल आदेश का.आ. 3322 (अ) में उल्लिखित सभी नोट्स और अन्य सामग्री समान रूप से लागू रहेंगे किन्तु नोट (क) में "31 दिसम्बर 2021 के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो "वाक्यांश के लिए "31 मार्च 2022 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो" पढ़ा जाए।

[पीएन/226/94/2021/एफ/फा. सं. 8(94)/2021/डी.पी./एनपीपीए-डिवी.-II]

प्रसेनजीत दास, उप निदेशक

ORDER

New Delhi, the 28th December, 2021

S.O. 5424(E).— The prices of 'Liquid Medical Oxygen (LMO)' and 'Oxygen Inhalation (Medicinal gas) in cylinder' fixed under Para 19 of the DPCO, 2013 and powers conferred under section 10(2)(l) of Disaster Management Act, 2005 delegated by Ministry of Health and Family Welfare vide Order No. Z-33014/45/2020-RCH/Pt.File-3 dated 23.09.2020, vide notification S.O. 3322(E) dated 25.09.2020, issued by National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, applicable upto 31.03.2021 and extended upto 30.09.2021 vide S.O. no. 1335(E) dated 25.03.2021 and again extended upto 31.12.2021 vide S.O. 3936(E) dated 23.09.2021 are further extended upto 31.03.2022 or until further order, whichever is earlier.

2. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 3322(E) dated 25.09.2020 read with S.O. No. 1335(E) dated 25.03.2021 and S.O. 3936(E) dated 23.09.2021 shall remain the same and are applicable except that in Note (a) for the phrase "31st December 2021 or until further orders, whichever is earlier" is to be read as "31st March 2022 or until further orders, whichever is earlier."

[PN/226/94/2021/F/F. No. 8(94)/2021/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5425(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का० आ० 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसे संक्षिप्त रूप से एनपीपीए कहा जाता है) नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है:

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वाटर फोर ईजेक्शन	ईजेक्शन	प्रति 500 एमएल पैक	46.21
2.	वाटर फोर ईजेक्शन	ईजेक्शन	प्रति 1000 एमएल पैक	81.11